

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

16-विकासनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री मुन्ना सिंह चौहान ग्राम रखटाड़ पोस्ट ऑफिस नागथात तहसील कालसी जिला देहरादून जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान— देहरादून

तारीख— 10.03.2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर

16-विकासनगर

रिटर्निंग ऑफिसर

विधान सभा-16-विकासनगर

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.


Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State from 16-Vikasnagar Assembly constituency .

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that-

Munna Singh Chauhan

Village- Rakhtad, Post Office- Nagthat, Tehsil kalsi District Dehradun
[sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Dehradun
Date- 10-03-2022

Signature- -----
Returning Officer
16-Vikasnagar
रिटर्निंग ऑफिसर
बिधान सभा-16-विकासनगर